

भाग-II

आयोजना-भिन्न व्यय, 2011-2012

आयोजना-भिन्न व्यय में सरकार का वह सारा व्यय शामिल है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता। यह राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय हो सकता है। व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे ब्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सांविधिक अन्तरण। व्यय का कुछ भाग राज्य के अनिवार्य कार्यों के सम्बन्ध में होता है, उदाहरणार्थ-रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेशी मामले और राजस्व संग्रहण। आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार ब्यौरे विवरण सं.4 में दिए गए हैं। 2011-2012 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई हैं। सामान्य रूप से आयोजना भिन्न पूंजी परिव्यय को विवरण सं.8 में एक साथ दर्शाया गया है जिसमें रक्षा सेवाएं तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) शामिल नहीं हैं।

1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां और ऋण शोधन (₹ 267986.17 करोड़)

₹ 267886.17 करोड़ की राशि सरकारी ऋण, आंतरिक और विदेशी दोनों तथा सरकार की अन्य ब्याज संबंधी देयताओं के भुगतान के लिए मुहैया की गयी है। आंतरिक ऋण में मुख्यतः बाजार ऋण और अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण, राजकोषीय हुंडियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। अन्य सब्याज देयताओं में बीमा और पेंशन निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां, प्रारक्षित निधियां तेल कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। 2004-05 से प्रावधान में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत उधार पर ब्याज की अदायगी को एमएसएस पर समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पृथक दर्शाया गया है। ऋण की कटौती से सम्बद्ध प्रीमियम भुगतान हेतु ₹ 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

2. रक्षा (₹ 164415.49 करोड़)

इसमें रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाकर शामिल है। इसके घटक ये हैं- थल सेना (₹ 64251.55 करोड़), नौ सेना (₹ 10589.06 करोड़), वायु सेना (₹ 15927.95 करोड़), आयुध कारखाने ₹ (-)1176.75 करोड़, अनुसंधान तथा विकास (₹ 5624.87 करोड़) तथा रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय (₹ 69198.81 करोड़)।

3.1 मुख्य सस्बिडियाँ (₹ 134210.85 करोड़)

3.1.1 उर्वरक सस्बिडी (₹ 49997.87 करोड़):- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

3.1.1.1 आयातित (यूरिया) उर्वरक (₹ 6983 करोड़):- चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। उर्वरकों की मुख्यतः तीन किस्में अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरैट आफ पोटैश आयात की जाती हैं। चूंकि केवल नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण लागू होता है इसलिए ये अनुमान वर्ष के दौरान यूरिया के सम्भावित आयात पर आधारित हैं।

3.1.1.2 देशी (यूरिया) उर्वरक (₹ 13308 करोड़):- देशी उर्वरक के सम्बन्ध में प्रतिधारण मूल्य योजना 1977 से लागू है। इस सस्बिडी योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और इस के

साथ-साथ उर्वरक के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना है। वितरण मार्जिन को घटाकर, इस प्रकार निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और सांविधिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में सस्बिडी दी जाती है। सस्बिडी की मात्रा रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर होती है।

3.1.1.3 कृषकों को रियायत के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री (₹ 29706.87 करोड़):- यह प्रावधान उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं/एजेंसियों को भुगतान से संबंधित है। यह योजना किसानों को एन:पी:के का अच्छा अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से और उर्वरकों के मूल्यों को नियमित करने हेतु फास्फेटी और पोटैशी उर्वरकों के मूल्यों को विनियंत्रित किए जाने के बाद शुरू की गई थी।

3.1.2 खाद्य सस्बिडी (₹ 60572.98 करोड़):- खाद्य सस्बिडी को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बजट में टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उनकी बिक्री की उगाही और खाद्यान्न के किफायती दाम के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार बफर स्टॉक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भी करती है। अतः खाद्य सस्बिडी का एक भाग बफर स्टॉक की ढुलाई लागत की पूर्ति में भी जाता है। यह सस्बिडी भारतीय खाद्य निगम जो लक्षित लोक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के अंतर्गत गेहूँ और चावल की अधिप्राप्ति और वितरण तथा अन्य कल्याण योजनाओं और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्न के बफर स्टॉक के अनुसंधान हेतु भारत सरकार का मुख्य साधन है, को प्रदान की जाती है। ग्यारह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों नामतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प. बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, उड़ीसा, गुजरात, केरल और कर्नाटक ने राज्य के भीतर न केवल खाद्यान्न अधिप्राप्ति अपितु उसको टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लक्षित जनसंख्या को वितरित करने का भी उत्तरदायित्व उठाया है। विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति की इस योजना के अंतर्गत, राज्य विशिष्ट किफायती दाम का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, और इस तरह नियत किफायती लागत और अखिल भारतीय स्तर पर नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति राज्यों को सस्बिडी के रूप में की जाती है। अन्य राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.3 पेट्रोलियम सस्बिडी (₹ 23640 करोड़):- इसके अंतर्गत घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन तेल के लिए घरेलू सस्बिडियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मालभाड़ा सस्बिडी और अन्य संबद्ध प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

3.2 ब्याज संबंधी सस्बिडी (₹ 6868.47 करोड़):- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की अदायगी सामान्यतः समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाती है। उन विशेष मामलों में, जहां ब्याज दरों में रियायत दी जाती है अथवा जहां ऋण पर ब्याज की अदायगी से छूट दी जाती है, वहां सस्बिडी दी जाती है और आर्थिक सहायता के बराबर की राशि को सरकार की ब्याज-प्राप्ति मान लिया जाता है। ब्याज सम्बन्धी सस्बिडी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी बैंकों से ऋणों पर ब्याज अदायगी को वित्त पोषित करने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु (₹ 63.73 करोड़) दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सस्बिडी के रूप में ₹ 199.61 करोड़ का प्रावधान रखा गया

है। इसमें ₹ 4868 करोड़ का प्रावधान नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को अल्पावधि ऋण मुहैया कराने हेतु, ब्याज इमदाद के रूप में है। ₹ 139.69 करोड़ का प्रावधान भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए और ₹ 500 करोड़ नोडल एजेंसियों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋणों हेतु सब्सिडी का भुगतान किया गया है। निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत बैंकों को ब्याज सब्सिडी हेतु ₹ 1000 करोड़ की राशि प्रदान की गयी है। ब्याज संबंधी सब्सिडियों के ब्यौरे विवरण संख्या 5 में दिए गए हैं।

3.3 अन्य सब्सिडियां (₹ 2490.35 करोड़):- अन्य सब्सिडियों के ब्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं। जिन प्रमुख मदों के लिए व्यवस्था की गई है, वे नीचे दी गई हैं:-

(क) कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप/मूल्य समर्थन स्कीम के लिए सहायता (₹ 436.59 करोड़): मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप की अभिकल्पना कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत नाफेड को (₹ 200 करोड़), भारतीय जूट निगम को (₹ 36.59 करोड़) तथा भारतीय कपास निगम को (₹ 200 करोड़) की राशि प्रदान की गई है।

(ख) हज सब्सिडी (₹ 600 करोड़): यह हज कार्यों के संबंध में है और इसका उद्देश्य हज तीर्थ यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले विमान किराया के लिये सब्सिडी देना है।

(ग) चीनी के बफर स्टॉक के रख-रखाव पर सब्सिडी (₹ 50 करोड़): यह आर्थिक सहायता चीनी के बफर स्टॉक के रख-रखाव हेतु चीनी मिलों के बकाया दावों को पूरा करने के लिए है।

(घ) चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति (₹ 50 करोड़): यह प्रावधान चीनी के निर्यात दुलाई पर चीनी के कारखानों को आंतरिक परिवहन तथा माल भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

(ङ) चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना, 2007 (₹ 80.59 करोड़): यह प्रावधान चीनी मिलों के निधिपोषण हेतु ब्याज सहायता के लिए है।

(च) दालों के आयात पर सब्सिडी (₹ 300 करोड़): यह प्रावधान दालों के आयात पर सब्सिडी देने के लिए है।

(छ) खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी (₹ 366.42 करोड़): इसके अन्तर्गत खाद्य तेलों का आयात करने वाले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान की जाने वाली खाद्य तेल सब्सिडी के भुगतान हेतु व्यवस्था है।

(ज) शिपयार्डों को सब्सिडी (₹ 542.12 करोड़): यह प्रावधान कोचीन शिपयार्ड लि. (₹ 0.01 करोड़), और केन्द्रीय भिन्न पीएसयू शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को (₹ 542.11 करोड़) के सब्सिडी भुगतान के लिए है।

4. राज्यों को राष्ट्रीय राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता (₹ 4525 करोड़)

तेरहवें वित्त आयोग ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गठित, विद्यमान राष्ट्रीय आपदा आकास्मिकता निधि (एनसीसीएफ) का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन यथाउपबान्धित राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) में विलय करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय आपदा आकास्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) से संग्रहित राशि को एनडीआरएफ में अंतरित किया जाता है और राज्यों को सहायता एनडीआरएफ से पूरी की जाती है। अनुमान है कि ₹ 4525 करोड़ का एनसीसीडी का संग्रह किया जाएगा और एनडीआरएफ को अंतरित किया जाएगा।

6. किसानों की कर्ज माफी तथा कर्ज राहत स्कीम (₹ 6000 करोड़)
किसानों को कर्ज माफी तथा कर्ज राहत योजना के अधीन ऋण संस्थाओं को ₹ 6000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. डाक सम्बन्धी घाटा (₹ 5017.67 करोड़)

डाक संबंधी घाटा डाक विभाग के कार्यकारी खर्चों की कमी को दर्शाता है। जबकि इस विभाग का कार्यकारी खर्च ₹ 12535.37 करोड़ है, डाक संबंधी प्राप्तियां ₹ 7517.70 करोड़ होने का अनुमान है जिससे ₹ 5017.67 करोड़ का घाटा होगा।

9. रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी (₹ 3022.61 करोड़):

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में रियायत दी जाती है। इसकी व्याख्या प्राप्ति बजट में की गयी है। लाभांश रियायतें, महत्वपूर्ण लाइनों के कार्यकरण में हानि से संबंधित रियायतों को छोड़कर, रेलवे को आम राजस्व से सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

8. सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन में रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (₹ 657.92 करोड़)

वर्ष 2011-12 में रेलवे को सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की एवज में ₹ 657.92 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10. सामान्य सेवाएं

10.01 राज्य के अंग (₹ 3311.92 करोड़):- इसमें मुख्यतः संसद (₹ 624.35 करोड़), राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति (₹ 30.66 करोड़), मंत्रिपरिषद (₹ 154.52 करोड़), न्याय प्रशासन (₹ 258.99 करोड़) और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग (₹ 2243.40 करोड़) के लिए व्यवस्था की गई है।

10.02 कर संग्रहण (₹ 7157.06 करोड़):- यह व्यवस्था कर संग्रह एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग (₹ 2946.88 करोड़), सीमाशुल्क (₹ 1873.65 करोड़) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 2262.13 करोड़) के सम्बन्ध में है। सीमा शुल्क व्यय में तटरक्षकों के लिए व्यय (₹ 890.94 करोड़) शामिल है।

10.03 निर्वाचन (₹ 124.73 करोड़): यह प्रावधान सामान्य चुनाव सम्बन्धी व्यय (₹ 83.29 करोड़) और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने (₹ 15.51 करोड़) और भारतीय निर्वाचन आयोग (₹ 25.93 करोड़) के लिए है।

10.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं (₹ 2194.15 करोड़):- ये प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा मंत्रालय, महानियंत्रक, रक्षा लेखा संगठन और रक्षा सम्पदा संगठन सहित (₹ 1218.90 करोड़), विदेश कार्य (₹ 250.31 करोड़) और गृह (₹ 177.58 करोड़), राजस्व (₹ 128.05 करोड़) और आर्थिक कार्य (₹ 84.71 करोड़) के लिए की गई हैं।

10.05 पुलिस (₹ 30594.73 करोड़):- इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए ₹ 7623.70 करोड़, सीमा सुरक्षा बल के लिए ₹ 7367.56 करोड़, असम राइफल्स के लिए ₹ 2450.69 करोड़, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ₹ 2908.59 करोड़ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए ₹ 1796.65 करोड़ और दिल्ली पुलिस के लिए ₹ 3150.75 करोड़, सशस्त्र सीमा बल के लिए ₹ 1546.51 करोड़ तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 150 करोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के लिए ₹ 422.96 करोड़, आसूचना ब्यूरो के लिए ₹ 909.92 करोड़ और जम्मू तथा कश्मीर की लाइट इन्फ्रेंटी हेतु ₹ 695.60 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

10.06 विदेश कार्य (₹ 3495.48 करोड़):- यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है।

10.07 पेंशन (₹ 54520.98 करोड़):- इसमें रक्षा सेवाओं (₹ 34000 करोड़) और अन्य सिविल विभागों (₹ 20520.98 करोड़) के सेवानिवृत्त कर्मिकों

की पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल है। इसमें भारत संचार निगम लि. में लिए गए कर्मचारियों को शामिल कर दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ (₹ 3959 करोड़) और सीजीएचएस पेंशनरों के चिकित्सा उपचार हेतु ₹ 604 करोड़ भी शामिल हैं। रेलवे तथा डाक विभाग के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

10.10 अन्य (₹ 1826.89 करोड़):- इसमें लोक निर्माण कार्य के लिए ₹ 1109.84 करोड़ तथा अन्य के लिए ₹ 717.05 करोड़ की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा-कैंटीन स्टोर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 8563.64 करोड़ होने का अनुमान है। तथापि, इससे कहीं अधिक क्षतिपूर्ति ₹ 9000 करोड़ की प्राप्तियों से होगी।

11. सामाजिक सेवाएं

11.01 शिक्षा (₹ 8971.07 करोड़):- इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 1885 करोड़ रुपए, नवोदय विद्यालय समिति के लिए ₹ 408.80 करोड़, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए ₹ 4118.89 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए ₹ 6571.53 करोड़, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 1091.68 करोड़, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 559.58 करोड़ के लिए की गयी व्यवस्था शामिल है। इसमें भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए (₹ 36.43 करोड़) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर हेतु (₹ 186.41 करोड़), इंजीनियरी सेवा और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के लिए (₹ 25 करोड़), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (₹ 54 करोड़) और आईएसएम धनबाद के लिए (₹ 38.68 करोड़) की व्यवस्था भी शामिल है।

11.04 चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 3034.05 करोड़):- इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए ₹ 585 करोड़, एलोपैथी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए ₹ 979.50 करोड़, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए ₹ 1322.66 करोड़ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ₹ 254.16 करोड़ और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए (₹ 170.85 करोड़) शामिल है। इसमें आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा एवं होम्योपैथी के लिए ₹ 187.20 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

11.06 सूचना और प्रसारण (₹ 1735.53 करोड़):- इस व्यवस्था में प्रसार भारती (₹ 1412.37 करोड़) को उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में अंतर की पूर्ति के लिए अनुदान, विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए ₹ 323.16 करोड़ शामिल है।

11.07 श्रम कल्याण (₹ 1850.70 करोड़):- इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अंशदान के लिए ₹ 1350 करोड़ की व्यवस्था शामिल है। अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वे हैं:- औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रम कल्याण, श्रम शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

11.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 3401.89 करोड़):- इसमें किसान ऋण राहत निधि को ₹ 2000 करोड़ का अंतरण स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए ₹ 752.09 करोड़, बाल और महिला कल्याण के लिए ₹ 51.16 करोड़, विकलांगों के कल्याण आदि के लिए ₹ 37.87 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

11.09 सचिवालय सामाजिक सेवाएं (₹ 299.36 करोड़):- इसमें ₹ 48 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवालय के लिए, ₹ 78.21 करोड़

उच्च शिक्षा, श्रम एवं रोजगार (₹ 33.60 करोड़) और सूचना एवं प्रसारण के लिए (₹ 40.61 करोड़) शामिल हैं।

12. आर्थिक सेवाएं

12.01 कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ 3819.37 करोड़):- इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य-जीव, खाद्य, भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है। मुख्य व्यवस्था कृषि अनुसंधान और शिक्षा (₹ 2154.23 करोड़) के लिए है।

12.02 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन (₹ 3346.25 करोड़):- यह प्रावधान मुख्यतया सम-निर्यात लोगों के लिए निर्यात संवर्धन और विपणन विकास (₹ 3050 करोड़) हेतु सहायता के संबंध में है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन और विशिष्ट निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए अन्य संस्थाओं को अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

12.04 उद्योग और खनिज (₹ 1858.43 करोड़):- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, न्यूक्लीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं संबंधी प्रावधान में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए ₹ 184.34 करोड़ की राशि को निवल प्राप्तियों के रूप में लिया गया है जिसे विभाग द्वारा चलाया जा रहा वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए (₹ 411.95 करोड़) शामिल है।

12.05 परिवहन (₹ 2490.24 करोड़):- ये व्यवस्थाएं मुख्यतया सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव (₹ 1831.91 करोड़), जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (₹ 1029.31 करोड़) शामिल है; और तलकषण तथा सर्वेक्षण संगठनों (₹ 425.86 करोड़) से संबंधित है। दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और ₹ 22.75 करोड़ की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है।

12.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (₹ 5171.46 करोड़):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए ₹ 2331.78 करोड़, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ₹ 889.17 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए ₹ 336.55 करोड़, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए ₹ 1445.18 करोड़, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए ₹ 68.11 करोड़ और समुद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹ 39.88 करोड़ शामिल हैं।

12.09 जनगणना आँकड़ों का सर्वेक्षण (₹ 1687.39 करोड़):- यह प्रवधान मुख्यतया जिला स्तर पर जनगणना और गणना कार्य; वर्ष 2011 को जनगणना संबंधी प्रशिक्षण और अनुसूचियों के मुद्रण के लिए है।

13. राज्य सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 65465.69 करोड़) राज्य सरकारों को अनुदान के अनुमान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर आधारित हैं। तेरहवें वित्त आयोग पर आधारित आयोजना-भिन्न अनुदान राज्यों के आयोजनाभिन्न राजस्व घाटा, शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों में सुधार, सटकों का रखरखाव, स्थानीय निकाय आपदा राहत और राज्य विशिष्ट सेवाओं के लिए है। इसके अलावा, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़कों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि आदि के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। ब्यौरे विवरण 10 में दिए गए हैं।

14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 845.28 करोड़)

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पुडुचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (₹ 493 करोड़), केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के बदले राष्ट्रीय

राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली को अनुदान (₹ 325 करोड़) को पूरा करने के लिए की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

15. विदेशी सरकारों को अनुदान (₹ 2301.01 करोड़)

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए ₹ 1000 करोड़, नेपाल के लिए ₹ 150 करोड़, अफ्रीकी देशों के लिए ₹ 150 करोड़, बंगलादेश के लिए ₹ 3 करोड़, श्रीलंका के लिए ₹ 290 करोड़, म्यांमार के लिए ₹ 250 करोड़, अफगानिस्तान के लिए ₹ 250 करोड़, अन्य विकासशील देशों आदि और अन्य कार्यक्रम के लिए ₹ 328.01 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

16. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर) (₹ 13211.90 करोड़):- इसमें मुख्य व्यवस्था पुलिस अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय (₹ 1885 करोड़), परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय (₹ 758.91 करोड़), तटरक्षक संगठन के लिए पोतों, नावों, विमानों आदि के अधिग्रहण (₹ 1600 करोड़), सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए (₹ 1993.97 करोड़), सीबीडीटी के लिए बना-बनाया आवास खरीदना (₹ 904.17 करोड़), केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 284.80 करोड़) और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण (₹ 350 करोड़), अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश (₹ 3424.34 करोड़), पुलिस पर पूंजी परिव्यय (₹ 2976.54 और भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड में निवेश (₹ 400 करोड़) के लिए की गयी है। ब्यौरे विवरण संख्या 8 में दिए गए हैं।

18. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 70 करोड़)

इसमें पुडुचेरी को अपने संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

19. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण (₹ 513.68 करोड़)

इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों में कमियों को पूरा करने के लिए ₹ 95.69 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ₹ 150 करोड़ की एकमुश्त व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। ₹ 250 करोड़ का दूसरा एकमुश्त प्रावधान स्वैच्छिक पृथक्कीकरण स्कीम और सांविधिक बकाया राशियों के लिए है। ₹ 17.99 करोड़ सरकारी उद्यमों को अनुदान के रूप में दिया गया है। ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं।

21. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय (₹ 3408.89 करोड़)

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए ₹ 1173.90 करोड़, दादरा और नागर हवेली के लिए ₹ 385.76 करोड़, लक्षद्वीप के लिए ₹ 1646.53 करोड़, चंडीगढ़ के लिए ₹ 1646.53 करोड़ और दमन एवं दीव के लिए ₹ 105.40 करोड़। ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए हैं।